भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2185**

उत्तर देने की तारीख 9 दिसंबर, 2024

सोमवार, 18 अग्रहायण 1946 (शक)

## युवाओं के लिए कौशल विकास के अवसर

**2185. श्री उम्मेदा राम बेनीवाल:**

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में कौशल विकास एवं उद्यमिता के क्षेत्र में युवाओं को अवसर प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में प्राप्त लक्ष्यों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार का राजस्थान में कौशल विकास के लिए सब-डिबीजन स्तर पर प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर युवाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगार उपलब्ध कराने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता क्षेत्र को गति देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) बाड़मेर-जैसलमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कितने युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तथा इस प्रयोजनार्थ कितना व्यय किया गया है तथा रिफाइनरी, तेल, गैस, खनन एवं सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न कम्पनियों में कितने स्थानीय प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया है?

**उत्तर**

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग) : भारत सरकार के कुशल भारत मिशन (एसआईएम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से राजस्थान राज्य सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करना है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना और उद्योग से संबंधित कौशल युक्त करना है। इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

**प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई):** पीएमकेवीवाई स्कीम का उद्देश्य देश भर के युवाओं को अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना तथा पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशलोन्नयन और पुनर्कौशल प्रदान करना है।

**जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना:** जेएसएस का मुख्य लक्ष्य 15-45 वर्ष की आयु के गैर-साक्षर, नव-साक्षर और प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों तथा 12वीं कक्षा तक स्कूल छोड़ने वाले व्यक्तियों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है, जिसमें दिव्यांगजनों और अन्य योग्य मामलों में उचित आयु में छूट दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी कम आय वाले क्षेत्रों में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाती है।

**राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस):** यह स्कीम शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और शिक्षुओं को वृत्तिका के भुगतान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके शिक्षुओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए है। प्रशिक्षण में बुनियादी प्रशिक्षण और उद्योग में कार्यस्थल पर कार्यरत प्रशिक्षण/ व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है।

**शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस):** यह स्कीम देश भर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से दीर्घकालिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है। आईटीआई कई तरह के व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, जो बड़ी संख्या में आर्थिक क्षेत्रों को कवर करते हैं, जिसका उद्देश्य उद्योग को कुशल कार्यबल प्रदान करना और युवाओं को स्व-रोजगार प्रदान करना है।

भारत और राजस्थान राज्य में एमएसडीई की उपर्युक्त स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षित/संलग्न/नामांकित उम्मीदवारों का विवरण निम्नानुसार है:

| | पीएमकेवीवाई प्रशिक्षित अभ्यर्थी (आरंभ से दिनांक 31.10.2024 तक) | जेएसएस प्रशिक्षित अभ्यर्थी (वर्ष 2018-19 से दिनांक 10.11.2024 तक) | एनएपीएस शिक्षु कार्यरत (2018-19 से 31.10.2024 तक) | आईटीआई में सीटीएस नामांकित उम्मीदवार (2018-19 से 2023-24 के बीच) |
|---|---|---|---|---|
| **अखिल भारत** | 1,57,55,371 | 27,35,435 | 33,69,364 | 79,57,128 |
| **राजस्थान** | 13,33,015 | 72643 | 67,385 | 6,67,565 |

एमएसडीई की स्कीमें मांग आधारित हैं और इन स्कीमों के अंतर्गत प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना या स्थापना आवश्यकता के आधार पर की जाती है।

(घ) राजस्थान राज्य के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में एमएसडीई की उपर्युक्त स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षित/संलग्न/नामांकित उम्मीदवारों का विवरण निम्नानुसार है:

| | पीएमकेवीवाई प्रशिक्षित अभ्यर्थी (आरंभ से दिनांक 31.10.2024 तक) | जेएसएस प्रशिक्षित अभ्यर्थी (वर्ष 2018-19 से दिनांक 10.11.2024 तक) | एनएपीएस शिक्षु कार्यरत (वर्ष 2018-19 से 31.10.2024 तक) | आईटीआई में सीटीएस नामांकित उम्मीदवार (वर्ष 2018-19 से 2023-24 के बीच) |
|---|---|---|---|---|
| **बाडमेर** | 29,240 | 5560 | 170 | 10068 |
| **जैसलमेर** | 11,007 | 5740 | 61 | 2650 |

एमएसडीई की स्कीमों के अंतर्गत धनराशि सीधे जिलों को जारी नहीं की जाती है। पीएमकेवीवाई और जेएसएस के तहत निधि निर्धारित लागत मानदंडों के अनुसार प्रशिक्षण की लागत को पूरा करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी किए जाते हैं। एनएपीएस के तहत, लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से प्रति माह 1500 रुपए तक का वृत्तिका जारी किया जाता है। आईटीआई के संबंध में दिन-प्रतिदिन का प्रशासन और वित्तीय नियंत्रण संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पास होता है।

*****